टी-13011/1/2022-डीसीसी-पार्ट(2)

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक-III (दूसरी मंजिल),
ईस्ट किदवई नगर, साउथ एक्स-I,
नई दिल्ली-110023

सेवा में,

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी और आयुष औषधि नियंत्रक
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 - के संबंध में

महोदय/महोदया,

कृपया दिनांक 25 मई, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (एएसयूडीटीएबी) की बैठक का संदर्भ लें, जिसमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में उल्लिखित नियम 170 और इसके संबंधित प्रावधानों को हटाने के लिए अंतिम अधिसूचना पर आगे बढ़ने की सिफारिश की गई थी। इस बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त संलग्न है। तथापि, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में उल्लिखित नियम 170 और उससे संबंधित प्रावधानों को हटाने की अंतिम अधिसूचना में कुछ समय लगेगा।

2. इस संबंध में और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1940 की धारा 33-त के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई न करें।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न- यथोपरि

भवदीय,

(मदन लाल मीणा)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

i) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निदेशक (आयुष)।